

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(24)एम.ई. / गुप-1 / 2015

जयपुर, दिनांक 3 JUN 2018

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.05.2018 के द्वारा रेडियोडायग्नोसिस विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार रेडियोडायग्नोसिस में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० उषा जयपाल	अजा	08.05.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
2.	डॉ० मीनू बगरहट्टा	सामान्य	15.09.1966	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ० गुलजारी लाल मीणा	अजजा	12.09.1964	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० कुलदीप मेहन्दीरत्ता	सामान्य	14.07.1958	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
5.	डॉ० नरेन्द्र कुमार करदम	अजा	15.09.1963	2016-17	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2016
6.	डॉ० अनु भण्डारी	सामान्य	01.01.1964	2012-13	आचार्य 01.10.2012 डॉ० भण्डारी के विरुद्ध नियम सी.सी.ए. 16 के तहत विभागीय जांच विचारक्रम
7.	डॉ० संगीता सक्सेना	सामान्य	03.03.1965	2014-15	आचार्य 01.04.2014
8.	डॉ० रीना माथुर	सामान्य	16.09.1961	2014-15	आचार्य 01.04.2014
9.	डॉ० चतुर्भुज प्रसाद स्वर्णकार	सामान्य	15.01.1966	2014-15	आचार्य 01.04.2014
10.	डॉ० नईमा मन्नान	सामान्य	02.02.1960	2014-15	आचार्य 01.04.2014
11.	डॉ० रामानन्द गहलोत	सामान्य	03.08.1958	2015-16	आचार्य 01.04.2015
12.	डॉ० अविनाश गुप्ता	सामान्य	23.06.1968	2017-18	आचार्य 01.04.2017
13.	डॉ० कीर्ति राणा	सामान्य	27.03.1971	2017-18	आचार्य 01.04.2017
14.	डॉ० धर्मराज मीणा	अजजा	09.08.1975	2017-18	आचार्य 01.04.2017

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० कुशल बाबू गहलोत	सामान्य	09.09.1974	29.08.2012
2.	डॉ० राजकुमार यादव	सामान्य	19.09.1974	05.12.2012
3.	डॉ० मुकेश मित्तल	सामान्य	08.04.1968	22.08.2012
4.	डॉ० दलपत सिंह	अजा	01.02.1972	28.08.2012

आज्ञा से

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव